FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम सोनू शर्मा**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15 / 156 / 2022 दा0दि0 23.05.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी सोनू शर्मा पुत्र छोटू शर्मा निवासी 313, इटायरा, जिला मेरठ, उत्तरप्रदेश जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन केन्ट्रा रजि0 सं0 यू. पी. 15 एफ.टी. 4115 धारा 5, 8, 11 (1)(ए)(1)(घ) आर.बी. एक्ट के तहत थाना शाहजहांपुर द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना शाहजहांपुर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी थाना शाहजहांपुर द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन केन्ट्रा रजि0 सं0 यू.पी. 15 एफ.टी. 4115 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुंकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन केन्ट्रा रजि0 सं0 यू.पी. 15 एफ.टी. 4115 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000 / – (पांच लाख रूपये मात्र / – तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 28.06.2022 को पेश हों। जिला कलक्टर अलवर	

21/06/22

प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर
पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील
प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि के प्रमाणित
मुचलके पेश किये जो तस्दीक
कर शामिल पत्रावली किये। S.H.O.
शाहजहांपुर को वाहन सुपुर्दगीनामे पर
देने हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील
दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)